भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 176
सोमवार, 2 फरवरी, 2026 (13 माघ 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत बंद पड़े विमानपत्तन

176. श्री नीरज डांगी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उड़ान योजना में शामिल होने के बावजूद विमानपत्तनों के अब तक चालू नहीं होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे विमानपत्तनों की राज्य-वार सूची है जो उड़ान योजना में शामिल होने के बावजूद बंद पड़े हैं;

(ग) क्या इन विमानपत्तनों के विकास पर अब तक किए गए व्यय का कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे बंद पड़े विमानपत्तनों को पुनः संचालित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): 'उड़ान' योजना के तहत वर्तमान में, 15 (पंद्रह) हवाईअड्डे गैर-प्रचालनरत हैं, जो तीन वर्ष की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता अवधि की समाप्ति, खराब दृश्यता स्थितियों, केवल वीएफआर वाले हवाईअड्डों पर दिन के समय रनवे प्रतिबंध, विमानों की कमी, पट्टे के मुद्दे, एयरलाइनों द्वारा अस्थायी रूप से मार्ग बंद किए जाने, मार्गों का नवीनीकरण और कम यात्री भार जैसे कारकों के कारण प्रचानलरत नहीं हैं। इन हवाईअड्डों में पठानकोट, पाक्योंग, कुशीनगर, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद, भावनगर, अंबिकापुर, लुधियाना, दतिया, कलबुरगि, शिमला और कूच बिहार शामिल हैं।

भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकारों, सीपीएसई और रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों और वाटर एयरोड्रोमों के पुनरुद्धार/उन्नयन के लिए 4500 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की है। इसके अतिरिक्त, 50 और हवाईअड्डों के पुनरुद्धार के लिए चरण-II में 1000 करोड़ रुपये की धनराशि भी अनुमोदित की गई है। अब तक 4640 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

निरंतर उड़ान परिचालन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार एयरलाइनों को वीजीएफ प्रदान करती है, क्षेत्रीय हवाईअड्डों के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करती है और परिचालनीय लचीलेपन को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, पिछले चरणों में बंद किए गए मार्गों के लिए भी पुनः बोली लगाई जाती है, मार्ग अवार्ड किए जाते हैं और इन्हें आगामी चरणों में कार्यशील किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी मौसमी प्रचालनों के लिए व्यवहार्य हवाईअड्डों पर विशेष दृश्य उड़ान नियम और उपकरण उड़ान नियम (आईएफआर) मानकों जैसी तकनीकों के संवर्धित उपयोग जैसे कदम भी उठाए गए हैं।

सरकार ने हाल ही में देशभर में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संशोधित 'उड़ान' योजना को आरंभ करने की घोषणा की है। यह योजना पर्वतीय, आकांक्षी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के जिलों में हेलीपेडों और छोटे हवाईअड्डों के विकास में सहायक होगी।

*****